न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 24/2018

1. नक्षत्रपालसिंह | पि. मुख्तयारसिंह जाति जटसिख निवासी हिन्दूमलकोट तह0
2. गुरमीतसिंह | व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. मनमोहनसिंह पुत्र मलुकसिंह जाति रायसिख निवासी चक 8 वी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरमीतसिंह पुत्र बरयामसिंह जाति जटसिख निवासी हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रसन कौर पत्नी खेतासिंह जाति रायसिख निवासी चक 8 वी ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. गुरदीपसिंह पुत्र खेतासिंह जाति नाई निवासी हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. मलकीतकौर पुत्री खेतासिंह जाति नाई निवासी हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. मुख्त्यारसिंह पुत्र केहरसिंह जाति जटसिख निवासी हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 09.02.2018

उपस्थितिः—

श्री गुरचरणसिंह अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री सुरेश कुमार अरोडा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 31.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रा. पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251क के

31/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तहत पेश कर चक 8 बी बडी के मु.नं. 13 के कि.नं. 22 से 24 में से पत्थर लाईन के साथ–साथ पश्चिम दिशा की तरफ 1–1 बीघा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि कि.नं. 15, 17, 24 में रेलवे लाईन निकलती है और रेलवे लाईन की भूमि रेल विभाग की है। रेलवे विभाग ने अपनी भूमि में से आने–जाने के लिए रोंक लगा रखी है। प्रार्थी ने कभी भी कि.नं. 6, 15, 17 व 24 के मध्य से आ जाकर अपनी भूमि काश्त नहीं की और न ही इस भूमि में कोई खडवंजा लगा है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कि.नं. 22 व 23 से प्रार्थी ने कभी आवागमन नहीं किया। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 09.02.2018 को प्रा.पत्र स्वीकार कर मु.नं. 13 के कि.नं. 22, 23, 24 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया एवं रास्ता के बदले में 3 बिस्वा भूमि अप्रार्थी को मुआवजा के रूप में दिलाये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि मु.नं. 13 की भूमि अपीलांट व रेस्पों. सं. 2 व 6 के नाम सुयक्त खाता में है। अभी तक विभाजन नहीं हुआ। खाता विभाजन का प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। अधी. न्यायालय ने 251क आर.टी.एक्ट के प्रावधानों की पालना नहीं की। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में मुआवजा में भूमि देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। रेल विभाग आवश्यक पक्षकार है जिसे प्रार्थी ने पक्षकार नहीं बनाया। रेस्पों. को मु.नं. 13 के कि.नं. 14 व 17 के बीच की लाईन में 1 बीघा तक 1–1 बिस्वा रास्ता दिये जाने से रेस्पों. को रास्ता की सुविधा उपलब्ध होगी। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधान को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को रास्ता में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिलायी गई है जिससे अपीलांट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। रेस्पों. को अपनी भूमि में आने–जाने के लिए अन्य कोई

31/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार सुविधाजनक रास्ता यही है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों का सार यह है कि संयुक्त खाता की भूमि में रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की क्रियान्विति हेतु संशोधन अधिनियम 2012 के नियम 69 में जो रास्ता खारिज करने के आधार दिये हैं। उसमें संयुक्त खाता होना अंकित नहीं है। सन्दर्भ नियम 69 की bare reading है कि Enquiry and disposal of application.- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an-officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved,

may allow the application. The application shall he decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

तदनुसार अधी. न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत होकर उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर